अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 79 - MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	20700,50,00		20700,52,00	19892,19,47	-808,32,53
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					808,30,11
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1086,50,00		2652,86,00	2640,74,90	-12,11,10
पूरक	Supplementary	1566,36,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					12,11,11

टीका और टिप्पणियां

1 अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	317302.00	..	..	..
पु.	R.	-317302.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष “2801”	Major Head “2801”					
विद्युत	Power					
मू.	O.	1745834.00				
पू.	S.	1.00		1982671.65	1982669.23	-2.42
पु.	R.	236836.65				

(I) ₹326902.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹326902.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552” – “पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन” –

(A) Major Head “2552” -"Transmission & Distribution Direction & Administration” -

(क) “विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण” – ₹191502.00 लाख; और

(a) “Strengthening of Power Systems”- ₹191502.00 lakhs; and

(ख) “सुधार से जुड़ी वितरण योजना” – ₹125800.00 लाख।

(b) “Reform Linked Distribution Scheme”- ₹125800.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष “2801” – “सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण” – ₹9600.00 लाख योजना दिशानिर्देशों का पूरा न होने के कारण थे।

(B) Major Head “2801” - “General - Assistance to Public Sector and other undertakings - Viability Gap Funding for development of Battery Energy Storage Systems” - ₹9600.00 lakhs - due to non-fulfilment of scheme guidelines.

(II) मुख्य शीर्ष “2801” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(II) Under Major Head “2801”- savings occurred under the following heads:-

(का) "जल विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – सीपीएसयू को सहायता"– ₹1198.00 लाख की बचत (₹5198.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Hydel Generation - Assistance to Public Sector and Other undertakings - Assistance to CPSU"- saving of ₹1198.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5198.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "ताप विद्युत उत्पादन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – लोहारी नागपाला" – ₹2880.00 लाख की बचत (₹8040.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनटीपीसी द्वारा प्रतिपूर्ति की कम मांग होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Thermal Power Generation - Assistance to Public Sector and other undertakings - Lohari Nagpala"- saving of ₹2880.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8040.00 lakhs) was due to less demand for reimbursement by NTPC and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "पारेषण और वितरण" –

(C) "Transmission and Distribution"-

(क) "विद्युत प्रणालियों का विकास– राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र – विद्युत प्रणाली विकास योजना को पीएसडीएफ से पूरा किया जाना" – ₹912.93 लाख की बचत (₹120000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Development of Power Systems - National Load Despatch Centre - Scheme for Power System Development to be met from PSDF" - saving of ₹912.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120000.00 lakhs); and

(ख) "आरक्षित निधि में अंतरण – विद्युत प्रणाली विकास निधि में अंतरण" – ₹912.93 लाख की बचत (₹120000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Power System Development Fund (PSDF)" - saving of ₹912.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत लेह – श्रीनगर राजमार्ग पर भारी बर्फबारी की वजह से सामग्री की आपूर्ति में देरी होने और लद्दाख विद्युत विकास विभाग के बीजकों में संशोधन न किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to delay in supply of material owing to heavy snowfall on the Leh-Srinagar Highway and non-revision of invoices for the Ladakh Power Development Department.

(ग) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता– विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹29227.31 लाख की बचत (₹50001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऋण की पुनर्अदायगी, पिछला बकाया ब्याज न होने की वजह से कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम, मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी

(c) "Assistance to Public Sector and other undertakings - Strengthening of Power Systems" - saving of ₹29227.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50001.00 lakhs) was due to non-payment of interest subsidy to Calcutta Electric Supply Corporation, Madhya Gujrat Vij

लिमिटेड और मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को ब्याज सब्सिडी का भुगतान न करने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य" –

(क) "निदेशन और प्रशासन – अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले से संबंधित भुगतान" – ₹987.73 लाख की बचत (₹1201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) न्यायाधिकरण/स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय की प्राप्ति में देरी होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "प्रशिक्षण – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹2500.64 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ग) "विद्युत अधिनियम, 2003 का प्रशासन – सांविधिक प्राधिकरण"– ₹1576.30 लाख की बचत (₹27462.82 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में), कम प्रशासनिक व्यय और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत नए कार्यालय की रजिस्ट्री में प्रक्रियागत विलंब होने की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹345.85 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत है।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

Company Limited, Mangalore Electricity Supply Company Limited and Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitran Company Limited owing to repayment of loan, non-spillover of interest and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) "General"-

(a) "Direction and Administration - Payment pertaining to international arbitration case" - saving of ₹987.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1201.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to delay in receipt of final award by Tribunal/Permanent Court of Arbitration.

(b) "Training- Research and Training"- saving of ₹2500.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Administration of Electricity Act, 2003 - Statutory Authorities" - saving of ₹1576.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27462.82 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to less administrative expenses and procedural delay in registry of new office under Central Electricity Regulatory Commission.

(III) Under one head saving of ₹345.85 lakhs occurred constituting 19 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2801" - under the following heads:-

(I) “पारेषण और वितरण” –

(का) “निदेशन और प्रशासन” –

(क) “अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण” – ₹84561.12 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “पूर्वोतर क्षेत्र के लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना” – ₹20000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) “पूर्वोतर क्षेत्र के लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना हेतु विश्व बैंक अनुदान” – ₹12000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–सुधार से जुड़ी वितरण योजना” – ₹6499.98 लाख का अधिक व्यय (₹208911.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(गा) “सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता–सुधार से जुड़ी वितरण योजना” – ₹158196.53 लाख का अधिक व्यय (₹815558.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और वितरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्य के लिए राज्य सरकारों के डिस्कॉम/विद्युत विभाग द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) “Transmission and Distribution” -

(A) “Direction and Administration”-

(a) “Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim”- excess of ₹84561.12 lakhs (against nil provision);

(b) “Power System Improvement Project for NER” - excess of ₹20000.00 lakhs (against nil provision);

(c) “World Bank Grant for Power System Improvement Project for NER” - excess of ₹12000.00 lakhs (against nil provision); and

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Reform Linked Distribution Scheme” - excess of ₹6499.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹208911.00 lakhs).

Excess under the above four heads were due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) “Assistance to Public Sector and other undertakings - Reform Linked Distribution Scheme” - excess of ₹158196.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹815558.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds by DISCOMs/Power Departments of State Governments for distribution infrastructure and smart metering work.

(II) "सामान्य – अनुसंधान और विकास – अनुसंधान और प्रशिक्षण"– ₹5300.00 लाख का अधिक व्यय (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और हाई पावर प्रयोगशाला में संबद्ध उपकरणों के साथ दो अतिरिक्त 2500 एमवीए जेनरेटरों की स्थापना करके हाई पावर शर्ट सर्किट परीक्षण सुविधाओं का संवर्धन किए जाने के कारण हुआ।

(II) "General - Research and Development - Research and Training" - excess of ₹5300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and augmentation of Higher Power Short Circuit Test facilities by installation of two additional 2500 MVA Generators with associated equipment at High Power Laboratory.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹1211.11 लाख) ₹1211.10 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (₹1211.11 lakhs) exceeded the overall savings of ₹1211.10 lakhs.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	51782.00			
पू.	S.	156636.00	207206.89	207206.90	+0.01
पु.	R.	-1211.11			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) "जल विद्युत उत्पादन – अन्य व्यय – बाढ़ नियंत्रण योजना" के अंतर्गत ₹44925.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2025 में ₹4381.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹49306.00 लाख कर दिया गया। तथापि, जो

(II) Under "Hydel Generation - Other Expenditure - Flood Moderation Scheme" - the original provision of ₹44925.00 lakhs was augmented to ₹49306.00 lakhs by obtaining supplementary grants

कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹682.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) “जल विद्युत उत्पादन – अन्य व्यय – सक्षम अवसंरचना” के अंतर्गत ₹702.00 लाख की बचत (₹6000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹273.95 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत है।

of ₹4381.00 lakhs in March, 2025 which, however, remained unutilized to the extent of ₹682.00 lakhs - due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(III) Under “Hydel Generation - Other Expenditure - Enabling Infrastructure” - saving of ₹702.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under one head excess of ₹273.95 lakhs occurred constituting 36 percent of the sanctioned provision.